न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : बडौदिया **कैम्प दिनांक 28.05.2018**

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 19/ 2018 **दायर तारीख :– 02.05.2018**

1. शीतल ग्रास फील्ड एडवेन्चर स्पोर्ट्स प्रा.लि. पंजिकृत कार्यालय के–107, किशन नगर, श्यामनगर, जयपुर जरिए अधिकृत प्रतिनिधी जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री रोशन सिंह **—— वादी**

बनाम

1. सीताराम पुत्र रामसहाय
2. लिक्ष्मा
3. शान्ती

(2–3 पुत्री रामसहाय; 1–3 निवासी ग्राम बामणवास, तहसील विराटनगर जिला जयपुर, राजस्थान)

4. तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गुरूशरण दास गौतम, अधिवक्ता वादी
श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 28.05.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बामणवास के हाल खसरा नम्बर 2916/0.07, 2917/0.05, 2934/0.04, 2960/3099/0.04, 2966/0.13, 2969/0.18, 2970/0.10, 2991/0.12, 2993/0.08, 3001/0.01, 3008/0.23, 3012/0.09, 3025/0.18, 3027/0.14, 3034/0.39 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 1.94 हैक्टेयर में वादी का 1/2 तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान मौके पर अपने हिस्से अनुसार अलग–अलग नम्बर पर काबिज हैं, वादी अपने हिस्सा 1/2 के रूप में खसरा नम्बर 2917/0.05, 3008/0.23, 3025/0.18, 3027/0.14, 3034/0.39 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा की खातेदारी शामिल में होने के कारण पक्षकारान को आराजी का लगान अदा करने तथा आराजी के विकास को लेकर कठिनाईयां रहती है। वादी ने प्रतिवादीगण से आराजी मुतनाजा का तकास्मा करने के लिए कहा तो

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

उन्होनें ध्यान नहीं दिया। अतः निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक हक हिस्सा वादी की खातेदारी पृथक से दर्ज करवायी जाकर तदनुसार लगान विभाजन कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073 पेश किये।
3. वादपत्र बाद प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार होने पर बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया।
4. प्रतिवादीगण का जवाब रहा कि वादी ने वादपत्र में खसरा नम्बर 2917, 3008, 3025, 3027, 3034 आदि में 1/2 हिस्सा अपनी मनमर्जी से अंकित किये है। खसरा नम्बर 2917 में प्रतिवादीगण का पैतृक आवास बना हुआ है तथा खसरा नम्बर 3008 में अपने स्वयं के खर्चे से बोरिंग बना रखा, जिसमें स्वयं काश्त करते है। वादग्रस्त आराजी में सहखातेदारों में मिटस एण्ड बाइण्डस व नरस–सरस भूमि अनुसार बंटवारा किये जाने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।
5. उभय पक्षकारान के निवेदन पर प्रकरण दिनांक 23.05.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार तहसीलदार विराटनगर को दोनो पक्षों की उपस्थिति में नरस–सरस के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।
6. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडौदिया में पेश हुई।
7. बहस विद्वान अधिवक्ता वकुलाय सुनी गई एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2070–2073 आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 2916/0.07, 2917/0.05, 2934/0.04, 2960/3099/0.04, 2966/0.13, 2969/0.18, 2970/0.10, 2991/0.12, 2993/0.08, 3001/0.01, 3008/0.23, 3012/0.09, 3025/0.18, 3027/0.14, 3034/0.39 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 की खातेदारी अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र सूरजमल अग्रवाल तथा हिस्सा 1/2 की खातेदारी सीताराम पुत्र रामसहाय, लिछमा, शान्ती पुत्रीयान रामसहाय के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा नामान्तकरण संख्या 137 विक्रय पत्र के द्वारा खाता संख्या 8 कुल खसरा संख्या 15 रकबा 1.94 हैक्टेयर अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र सूरजमल अग्रवाल हिस्सा 1/2 के बजाय शीतल ग्रास फील्ड एडवेन्चर स्टोर्टस प्रा.लि. जरिए प्राधिकृत प्रतिनिधि देवेश कुमार सिंघल पुत्र हरिप्रसाद गुप्ता के नाम नवीन अंकन स्वीकार हुआ है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा में वादी हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबालिया जवाबदावा रहा है, पक्षकार मुताबिक

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

कब्जे काश्त व हिस्सानुसार कानूनी बंटवारा कराने पर सहमत है। पक्षकारान के बंटवारे के संबंध एवं न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए पैरोकार से जवाब प्राप्त किया गया, जिसके मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 2917/1/0.03, 3008/0.23, 3025/0.18, 3027/0.14, 3034/0.39 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर पर वादी का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 2916/0.07, 2917/2/0.02, 2934/0.04, 2960/3099/0.04, 2966/0.13, 2969/0.18, 2970/0.10, 2991/0.12, 2993/0.08, 3001/0.10, 3012/0.09 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। पक्षकार इसी अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है, वर्तमान में पक्षकारों के मध्य आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

8. वादी ने अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। अतः दावा डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

वादी का वादपत्र इस कदर डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम बामणवास के खाता संख्या 8 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 2917/1/0.03, 3008/0.23, 3025/0.18, 3027/0.14, 3034/0.39 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर का वादी को तथा हाल खसरा नम्बर 2916/0.07, 2917/2/0.02, 2934/0.04, 2960/3099/0.04, 2966/0.13, 2969/0.18, 2970/0.10, 2991/0.12, 2993/0.08, 3001/0.10, 3012/0.09 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर को प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे अपने–अपने हिस्से का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करें, एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बेजा दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 13.05.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर, जयपुर

बइजलास :– रणजीत सिंह आर.ए.एस.

1. शीतल ग्रास फील्ड एडवेन्चर स्पोर्ट्स प्रा.लि. पंजिकृत कार्यालय के–107, किशन नगर, श्यामनगर, जयपुर जरिए अधिकृत प्रतिनिधी जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री रोशन सिंह —— **वादी**

बनाम

1. सीताराम पुत्र रामसहाय
2. लिक्ष्मा
3. शान्ती } पुत्री रामसहाय } निवासी ग्राम बामणवास, तहसील विराटनगर जिला जयपुर, राजस्थान
4. तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर —— **प्रतिवादीगण**

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 24 / 2015 **दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री गुरूशरण दास गौतम एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री राजेश तिवाडी** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक हक हिस्सा वादी की खातेदारी पृथक से दर्ज करवायी जाकर तदनुसार लगान विभाजन कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। **सुना गया।** प्रकरण में प्रतिवादी का इकबालिया जवाबदावा रहा है, पक्षकार अपने–अपने कब्जे काश्त अनुसार कानूनी बंटवारा कराने पर सहमत हैं। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वाके ग्राम बामणवास के खाता संख्या 8 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 2917/1/0.03, 3008/0.23, 3025/0.18, 3027/0.14, 3034/0.39 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर का वादी को तथा हाल खसरा नम्बर 2916/0.07, 2917/2/0.02, 2934/0.04, 2960/3099/0.04, 2966/0.13, 2969/0.18, 2970/0.10, 2991/0.12, 2993/0.08, 3001/0.10, 3012/0.09 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर को प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे अपने–अपने हिस्से का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करें, एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बेजा दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य........................ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 13.05.2015** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर